कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 57 / 2007 दायर दिनांकः–06 / 09 / 2007
निर्णयदिनांकः–17 / 06 / 2015

1–केसर पिता नाथु पाटीदार उम्र वयस्क निवासी नयागॉव हाल अपने पति रूपसी पाटीदार निवासी वरसिंगपुर तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ।
2–भूरी पिता नाथु पाटीदार उम्र वयस्क निवासी नयागॉव हाल अपने पति निवासी बडलिया तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान
3–गंगा पिता नाथु पाटीदार उम्र वयस्क निवासी नयागॉव हाल अपने पति डायालाल पाटीदार निवासी वरसिंगपुर तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान ।

–वादी–

बनाम

1– पंकज पिता लालजी पटेल सरबराकर प्रेमजी पिता खेमजी पटेल उम्र वयस्क निवासी नयागॉव तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2–गंगा पत्नि जगजी पाटीदार उम्र वयस्क निवासी नयागॉव तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान।
3–राजस्थान सरकार भूमिधारी मार्फत तहसीलदार ,साहब तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

–प्रतिवादीगण–

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती एवं अन्तर्गत धारा 209 आर.टी.एक्ट बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही जाति के होकर गॉव नयागॉव के निवासी है। ग्राम नयागॉव पटवार हल्का सामलिया तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर के वर्तमान खाता संख्या 165 नया व 149 पुराना तथा संवत् 2022 के खाता संख्या 41 पुराना में भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग राजस्थान सरकार की खतौनी के अनुसार वादीगण के पिता नाथु पिता लालजी पाटीदार के खातेदारी स्वामित्व , आधिपत्य एवं कब्जेशुदा भूमि स्थित थी।

वादीगण के पिता नाथु की मुत्यु हो जाने के पश्चात वादीगण नं 1 से 3 के नाम पिता के विरासती खाते में पुत्रीयों व उनकी पत्नि लीली का नाम वैध उत्तराधिकारी होने की हैसियत वसे इन्द्राज होना चाहिये था। परन्तु राजस्व अधिकारीयों की त्रुटि से वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना रह गया है। निर्वतमान संवत् 2060–63 वास्तविक संवत् 2060 में खाता संख्या 165 नया व 149 पुराना लीली बेवा नाथू पटेल के नाम से कायम हुआ। इस खाते में कुल 31 खसंरे होकर क्षैत्रफल 8 बीघा 13 बीस्वा है जिसका सम्पूर्ण ब्यौरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

वादीगण की मॉ लीली की मृत्यु 9 वर्ष पूर्व हो गयी है जिसके पश्चात नाथू पिता लालजी व लीली बेवा नाथू के वलि वारिसान के रूप में वादीगण ही अस्तित्व में है तथा वादीगण उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। अर्सा 4 माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण के स्वामित्व , कब्जेदारी की भूमि पर टेक्टर चला कर फसल बोने उतारू हो गये और कहने लगे कि यह जमीन तो हमारे खातेदारी की है एवं खाते में हमारा नाम है इसलिये यह जमीन हमारी है एवं इसको अब हम ही जातेगें जिस पर वादीगण द्वारा पटवारी साहब से मिलने पर पता चला कि उक्त खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण 1 व 2 का नाम इन्द्राज हो गया है जिस कारण वह वादीगण की भूमि को हडपने की नियत से अतिकमण कर कब्जा करना चाहते है। इसके पश्चात वादीगण द्वारा जानकारी करने से पता चला कि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

अधिकारीयों द्वारा वादीगण के पिता के खातेदारी भूमि में पकंज पिता लालजी पटेल का नाम इन्द्राज कर दिया है जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। वादीगण नाथू पिता लालजी व लीली बेवा नाथू की पुत्रिया होकर उनकी वैध उत्तराधिकारी है जबकि पंकज पिता लालजी पटेल का नाथु पिता लालजी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक निहित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 पकंज पिता लालजी द्वारा वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि में से खसंरा सं 606 व 607 रकबा 9 बीस्वा बिना किसी हक अधिकारी के प्रतिवादी सं 2 गंगा पत्नि जगजी पाटीदार निवासी नयागॉव को दिनांक 02.09.2006 को बेच दिया है।

प्रतिवादी सं 01 द्वारा प्रतिवादी सं 2 को खसंरा सं 606 व 607 का बेचान अवैघ घोषित करा कर निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। वादीगण का नाम उनके पिता की मृत्यु के पश्चात राजस्व अधिकारीयों की लापरवाही एवं त्रुटि से राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हो पाया तथा उनकी मॉ के नाम इन्द्राज हो गया था एवं अब जब उनकी माता की भी मृत्यु हो चुकी हे तो वादीगण का नाम उक्त खातें में इन्द्राज करना आवश्यक था परन्तु राजस्व अधिकारीयों द्वारा इनकी उपेक्षा कर झुठे तथ्यों के आधार पर पकंज पिता लालजी पटेल का नाम दर्ज कर दिया है जिसमें सुधार करना न्योयोचित होकर आवश्यक है ।

खाता सं 165 नया व 149 पुराना मौजा नयागॉव पटवार हल्का सामलिया तहसील सागवाडा में वादीगण का नाम इन्द्राज किये जाने हेतु निवेदन है एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादीगण की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें । एवं नही अन्य बेचान करें । बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न डिक्री सादिर फरमाई जावें। धोषित किया जावें कि खाता सं 165 नया एवं 149 पुराना मौजा नयागॉव पटवार हल्का सामलिया तहसील सागवाडा में वादीगण का नांम पुत्रीयों की हैसियत से खातेदार के रूप में जोडा जाये।

प्रतिवादी सं 1 द्वारा प्रतिवादी सं 02 को दिनांक 06.09.2006 को खसंरा सं 606 व 607 रकबा 9 बीस्वा का किया गया बेचान अवैघ घोषित कर निरस्त किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से बाध्य किया जावें कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावे एवं नहीं वादीगण को काश्त करने से रोके एवं हौराने वाद यदि कोई खंसरा बेच दिया हो तो उस विक्रय को निरस्त कर कब्जा पूनः वादीगण को दिलाया जावें।

प्रकरण में तनकी कायम कर सुनाई गई। वादीगण द्वारा अपने समर्थन में मौजा नयागॉव पटवार हल्का सामलिया के नामान्तरण सं 576 की प्रतिलिपि(Ex1), जमाबन्दी संवत् 2060–63 खाता सं 165 मौजा नयागॉव(Ex2) भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2022 खाता सं 41 की प्रतिलिपि(Ex3) , खसंरा गिरदावरी ग्राम नयागॉव संवत् 2063 की प्रतिलिपि(Ex4), जमाबन्दी संवत् 2060 से 63 मौजा नयागॉव खाता सं 165 की प्रतिलिपि (Ex5) आदि प्रस्तुत की । गवाह के रूप में गंगा पिता नाथु पाटीदार का शपथ पत्र (PW1) डायालाल पिता डूॅगर पाटीदार का शपथ–पत्र(PW2) ,लवजी पिता रूपसी पाटीदार निवासी नयागॉव का शपथ पत्र(PW3) आदि प्रस्तुत किए । वकील प्रतिवादी द्वारा गवाह की जिरह पूर्ण की गई। साक्ष्य प्रदर्श करवाऍ गए।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में श्रीमती लीली बेवा नाथू पटेल निवासी नयागॉव द्वारा श्री लालजी पिता पेमजी पाटीदार निवासी नयागॉव के पक्ष में किया गया वसीयतनामा दिनांक 19/02/1997 की प्रतिलिपि(ExD1A), मौजा नयागॉव के खाता सं 133 संवत् 2064–67 की प्रतिलिपि(ExD2A) प्रस्तुत की । गवाह में श्री पेमजी पिता खेमजी पटेल निवासी नयागॉव का शपथ–पत्र(DW1), मनोहर सिंह पिता नाहरसिंह राजपूत निवासी सागवाडा(DW2), का शपथ पत्र पेश किया। वकील वादी द्वारा जिरह पूर्ण की गई । दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए।

अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया गया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी सं 01 :– आया वाद वर्णित भूमि मौजा नयागॉव जमाबन्दी सं 2060–63 के खाता सं नया 165 पुराना 149 कुल आराजी 31 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादीगण की पैतृक होकर वादीगण प्रतिवादी सं 01 का नाम खाते से हटवाकर अपना नाम दर्ज करा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है।

जिम्में वादीगण

निर्णयः– वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त भूमि खाता सं 165 कुल किता 31 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा मौजा नयागॉव नामान्तरण सं 17 के द्वारा वादीगण की माता लीली बेवा नाथू पटेल से वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज हुई। इससे पूर्व जमाबन्दी संवत् 2060–63 में उक्त आराजी लीली बेवा नाथू पटेल के नाम दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2022 के अनुसार उक्त आराजी नाथू वल्द लालजी पटेल के नाम दर्ज थी। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पकंज कुमार पिता लालजी पटेल के नाम दर्ज है जिसमें से नामान्तरण सं 649 दिनांक 06/09/2006 द्वारा खसंरा सं 606 व 607 रकबा क्रमश 08 बिस्वा एवं 01 बिस्वा श्रीमती गंगा पत्नी जगजी पटेल के नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा वसीयतनामें की प्रतिलिपि पेश की है जिसके अनुसार वसीयतनामा दिनांक 19/02/1997 को संपादित किया गया। जिसमें दस्तावेज नवीस के रूप में मनोहरसिंह तथा गवाह के रूप में पेमजी पिता खेमजी पाटीदार निवासी नयागॉव के हस्ताक्षर व अंगुठा है वादी सं 03 ने अपने बयान में वर्णित किया है कि वह 25 वर्ष से अपने पति के साथ वरसिंगपुरि में रहती है तथा उसकी दो बहनें केसर एवं भूरी है। लीलीबाई की मृत्यु 07–8 वर्ष पूर्व हुई। लीलीबाई जीवित थी तो स्वंय कृर्षि करती थी तथा वादी सं 03 ने प्रतिवादी सं 01 के परिवार वालों द्वारा लीलीबाई की मृत्यु के पश्चात कियाकर्म किया गया परन्तु उस कार्य हेतु मृतका के जेंवर बेचकर किया गया है। वादी के अनुसार वह एवं उसकी बहनें लीली की पुत्रियॉ है प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट कि वादीगण की पैतृक सम्पत्ति का वादीगण की माता द्वारा प्रतिवादी सं 01 के पक्ष में वसीयतनामा संपादित किया गया । जबकि नाथू पिता लालजी पटेल के वारिसान लीली बेवा नाथू पटेल द्वारा अपने हिस्से का वसीयतनामा किया जाना ही न्याय संगत है। अतः तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी सं 02:– आया प्रतिवादी सं 02 को विक्रय भूमि का नामान्तरकरण हो जाने के बाद पंजीयन दस्तावेज को शून्य घोषित कराने का हक वादीगण को इस न्यायलय से है

जिम्में वादीगण

निर्णयः– वादग्रस्त आराजी नामान्तरण सं 117 के द्वारा दिनांक 20/10/2004 को लीली बेवा नाथू पटेल से वसीयत से प्रतिवादी सं 01 के नाम दर्ज हुई । वसीयत की गई आराजी में से नामान्तरण 649 से दिनांक 06/09/2006 को विक्रय होने से खसंरा सं 606 व 607 प्रतिवादी सं 02 के नाम दर्ज हुई है। न्यायालय को पंजीयन दस्तावेज का क्षैत्राधिकार न होने से पंजीयन दस्तावेज को शून्य घोषित करने का हक न होने से तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है।

तनकी सं 03 :– आया श्रीमती लीली वादीगण की माता नहीं थी

जिम्में प्रतिवादीगण

निर्णयः– प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में यह दावा किया कि वादीगण श्रीमती लीली बेवा नाथू पटेल की पुत्रियॉ नहीं है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त दावे की पुष्टि होती है। अतः तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

तनकी सं 04 :– आया वाद वर्णित भूमि का वसीयतनामा प्रतिवादी सं 01 के पिता को श्रीमती लीली द्वारा किया गया जो वैधानिक होकर विधिक वारिस होने के नाते प्रतिवादी के खाते दर्ज होकर उसमें से दो खेत प्रतिवादी सं 02 को विक्रय करने का अधिकार था।:–

निर्णयः– प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में एक वसीयतनामा प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा जिम्में प्रतिवादीगण वादीगण की माता श्रीमती लीली बेवा नाथू पटेल द्वारा श्री लालजी पिता पेमजी पाटीदार के पक्ष में अपनी सम्पत्ति वसीयत की गई। वसीयतनामे पर दो गवाह एवं दस्तावेज नवीस के हस्ताक्षर हैं। श्री पेमजी पिता खेमजी पाटीदार (DW1) द्वारा अपने बयान में स्वीकार किया है कि श्रीमती लीली द्वारा वसीयतनामा किया गया है। लीली नाथूजी पटेल की पत्नी थी। उसके अनुसार उसने तहसील में आकर कभी किसी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए है। बयानकर्ता के अनुसार क्या लिखापढी हुई मुझे इसकी जानकारी नहीं है । पकंज हमारे विरासती खाते पर ही काश्त करता है। दस्तावेज नवीस श्री मनोहरसिंह पिता नाहरसिंह द्वारा अपने बयान में वर्णित किया है कि 19/02/1997 श्रीमती लीली बेवा नाथू पटेल द्वारा दस्तावेज की ड्राफिटिंग की थी जिस पर मेंरे हस्ताक्षर है । लीली के अंगुठे मैने नहीं करवाए थे। किसी के द्वारा मेंरे समक्ष अंगुठा या हस्ताक्षर नहीं किए है। उपरोक्त बयानों से स्पष्ट है कि वसीयतनामें का संपादन हुआ परन्तु कानूनी रूप से श्रीमती लीली बेवा नाथू पटेल द्वारा संपादित वसीयतनामा उसी सीमा तक वैध है जिस सीमा तक उन्हें वसीयत करने का अधिकार है। वादग्रंस्त आराजी नाथू पिता लालजी पटेल से विरासत से लीली बेवा नाथू पटेल के नाम दर्ज हुई एवं वसीयत से पकंज पिता लालजी पटेल के नाम दर्ज हुई। पकंज पिता लालजी पटेल द्वारा वादग्रस्त आराजी में से खसंरा सं 606 व 607 रकबा 089 बिस्वा व 01 बिस्वा प्रतिवादी सं 02 को विक्रय किया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पत्ति में माता , पुत्र एवं पुत्रियों का समान हक है। अतः श्रीमती लीली बेवा नाथू पटेल द्वारा सम्पूर्ण आराजी का हस्तान्तरण वैध नहीं है अतः तनकी का निर्णय बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

दादरसीः– प्रंकरण में वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण को प्रतिवादी सं 01 के साथ वादग्रस्त आराजी का है 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है । विक्रय की गई भूमि प्रतिवादी सं 01 के हिस्से में से कम की जावें। इस आशय की डिक्री जारी है । निर्णय सरें ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner